

आवेदक / शिकायतकर्ता का नाम, पता व मोबा० न०	श्रीमती अर्चना बागला पत्नी महेन्द्र बागला निवासी 26,70 बिरहाना रोड कानपुर नगर हाल 7,68 रतन गाडिनेयर, तिलक नगर कानपुर नगर मो० न० 9415044996
विपक्षी का नाम पता व मो० न०	श्रीमती उमा बागला पत्नी स्व० अनिल बागला निवासी उपरोक्त
शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत/आरोप का संक्षिप्त विवरण	मकान संबंधी विवाद
जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पद	उ०नि० रजनीश पाल मो० न० 9911816481
घटना स्थल के निरीक्षण का दिनांक	09.03.2025 अक्षांश 26.463670 देशांतर 80.357179
शिकायतकर्ता का बयान	-
आरोपी का बयान	-
निष्पक्ष स्वतन्त्र साक्षियों का बयान	-
अभिलेखीय साक्ष्य	-

जाँच का सारांश- शिकायती पत्र में जिन आरोपों / शिकायतों का उल्लेख किया गया है उन पर विन्दुवार आख्या:

महोदय,

श्रीमान जी निवेदन है कि उपरोक्त संलग्नक आईजीआरएस प्रार्थना पत्र की जाँच मुझ उ०नि० द्वारा की गयी तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये कि भवन सं० 26/70 बिरहाना रोड कानपुर नगर की पूर्व स्वामिनी स्व० दुर्गा देवी पत्नी स्व० लाला घूमीलाल बागला थी। जिनके द्वारा मृत्यु से पूर्व वसीयत कराई गयी जिसमें भवन के प्रथम खण्ड व तृतीय खण्ड को अपने पुत्र राधाकृष्ण बागला की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी व उसके पुत्रगण अनिल, अजय, राजदीप को दिया गया। इसी प्रकार भूमि खण्ड तथा द्वितीय खण्ड को अपने पुत्र श्रीकृष्ण बागला की धर्मपत्नी श्रीमती श्यामलता देवी व उनके पुत्र गण आलोक, महेन्द्र, मनोज को दिया गया है। इस प्रकार विवादित भाग में विक्रेता उमा बागला पत्नी स्व० अनिल बागला अपने पति के 1/4 हिस्से की मालिक हुई वर्ष 2019 में श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा एक गिफ्ट डीड द्वारा अपना 1/4 भाग अपने पुत्र अजय बागला को कर दिया। दिनांक 01.02.2025 को उमा बागला पत्नी स्व० अनिल बागला द्वारा हेमन्त बागला पुत्र महेन्द्र बागला व आवेदिका अर्चना बागला को अपने हिस्से 1 / 4 भाग के स्थान पर 1/3 भाग की रजिस्ट्री करा दी गयी है। दोनों पक्ष वर्तमान समय में भवन सं० 26/70 में निवास नहीं कर रहे हैं। अनिल की पत्नी उमा वर्तमान समय में अपनी पुत्री के पास मो० न० 8/9 राजेन्द्र नगर सेक्टर 3 ब्लॉक 8 साहिबाबाद जिला गाजियाबाद में निवास कर रही है जिनसे जरिये दूरभाष नं० 7011913551 पर वार्ता की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं वृद्ध महिला हूँ मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है मैं जल्द ही कानपुर आकर आपके समक्ष उपस्थित होऊँगी, अर्चना बागला रिस्ते में मेरी देवरानी लगती है परिवार की सम्पत्ति अविभाजित है, किसी का कोई वटवारा नहीं है। इस समय संबंध में अजय बागला जो उमा बागला के सगे देवर हैं द्वारा सिविल जज कानपुर नगर सीडी कानपुर नगर में वाद सं० 267/2025 अजय बागला आदि बनाम 1. उमा बागला 2. अर्चना बागला 3. हेमन्त बागला दाखिल किया गया है। श्रीमान जी उपरोक्त प्रकरण सिविल प्रकृति का है दोनो पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उमा बागला के कानपुर आने पर दिये गये प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय से अन्य किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

आरोप सिद्ध हो रहे हैं या नहीं	निल
पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही / प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण	उपरोक्त
अन्य कोई तथ्य	निल

प्रभारी निरीक्षक
थाना फीलखाना कानपुर नगर

नोडल अधिकारी IGRS
थाना फीलखाना कानपुर नगर

09/03/25
(रजनीश पाल)
उपनिरीक्षक
थाना फीलखाना कानपुर नगर

